



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता- 700 001

वेबसाइट: www.teaboard.gov.org

फोन नं. 033-22351331

ई-मेल: teaboardfin@gmail.com

फैक्स नं 033-2221-5724

संदर्भ सं. फिन/पे/आईटी/2024-25

17 अक्टूबर, 2024

परिपत्र

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 निर्धारण वर्ष 2024-25 से संबंधित आयकर/टीडीएस को अंतिम रूप देने के लिए फॉर्म 12बीबी और बचत/कटौती के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना।

- 1) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के प्रावधान के अनुसार, भुगतान के समय वेतन मद के तहत किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान करना होगा। जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाता है, उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर गणना की गई आयकर की औसत दर पर देय राशि पर आयकर की कटौती, अनुमत अनुमति के बाद "वेतन" शीर्ष के तहत निर्धारिती के लिए अनुमानित आय पर कटौती।
- 2) वेतन से आयकर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए आयकर कटौती को फॉर्म 12 बीबी (कटौती/छूट का दावा करने के लिए अनिवार्य) में घोषणा के साथ समय पर जमा करना आवश्यक है।
- 3) सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि "नई कर व्यवस्था" वित्तीय वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान आयकर कटौती के लिए "डिफॉल्ट विकल्प" के रूप में लागू होगी। हालाँकि, कोई कर्मचारी वित्त विभाग को फॉर्म 12BB जमा करके वित्तीय वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए "पुरानी कर व्यवस्था" चुन सकता है। कर व्यवस्था में बदलाव एक बार की प्रक्रिया है। एक बार कर्मचारी ने पुरानी कर व्यवस्था चुन ली तो वह वित्तीय वर्ष में उसमें बदलाव नहीं कर सकता।
- 4) नीचे दी गई तालिका वित्त वर्ष 2024-25 (वा.व 2025-26) के लिए कर की गणना के उद्देश्य के लिए वैकल्पिक नई कर व्यवस्था बनाम पुरानी दरों के अनुसार कर दरों को सारांशित करती है: -

आय स्लैब	पुरानी कर व्यवस्था (वि.व 2024-25)	नई कर व्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25
रु.2,50,000 तक	शून्य	शून्य
रु.2,50,001 – रु.3,00,000	5%	शून्य
रु.3,00,001 – रु.5,00,000	5%	5%
रु.5,00,001 – रु.6,00,000	20%	5%
रु.6,00,001 – रु.7,00,000	20%	5%
रु.7,00,001 – रु.9,00,000	20%	10%
रु.9,00,001 – रु.10,00,000	20%	10%
रु.10,00,001 – रु.12,00,000	30%	15%
रु.12,00,001 – रु.12,50,000	30%	20%
रु.12,50,001 – रु.15,00,000	30%	20%
रु.15,00,000 से अधिक	30%	30%

नोट :-

- (i) अध्याय VI-ए {(धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कटौती को छोड़कर}, धारा 10 (13 ए) हाउस रेंट अलाउंस और धारा 24 (उधार ली गई पूंजी पर ब्याज / गृह संपत्ति से आय) आदि के तहत दी जाने वाली सभी कटौतियां नई कर व्यवस्था में नहीं दी जाएंगी।
- (ii) इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बचत/कटौतियों के दस्तावेजी प्रमाण के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म 12 बीबी के साथ उपरोक्त को 30 अक्टूबर, 2024 तक केवल सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से tbfinnds@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए और किसी अन्य मेल आईडी पर भेजे गए मेल को आयकर उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा।

सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन किया जा सके। सभी संबंधित कृपया ध्यान दें कि एक बार जब आयकर स्रोत पर काट लिया जाता है और आयकर विभाग के नामित बैंक में जमा कर दिया जाता है, तो उसके बाद हमारी ओर से कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।

यह मुद्रा वि.स एवं मु.ले.अ, टी बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

12 बीबी फॉर्म को एम्प्लॉई कॉर्नर> बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.teaboard.gov.in/> के डाउनलोड फॉर्म पेज से डाउनलोड किया जा सकता है।

संगलन: यथा कथित

ज.अ. गोस्वामी
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
लेखा अधिकारी (प्र)

1. कर्मचारी का नाम व पता:			
2. स्थायी लेखा संख्या व कर्मचारी का क्रमचारी कोड: (अनिवार्य)			
3. वित्तीय वर्ष:			
4. मोबाईल नं(अनिवार्य):		5. ई-मेल (अनिवार्य):	
दावों का विवरण और उसके साक्ष्य			
क्र.सं	दावे की प्रकृति	राशि (रु.)	साक्ष्य / विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकान किराया भत्ता: (i) मकान मालिक को किराए का भुगतान (ii) मकान मालिक का नाम (iii) मकान मालिक का पता (iv) मकान मालिक का स्थायी लेखा संख्या नोट: यदि पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक है तो स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत की जाएगी।		
2	यात्रा रियायतें छुट्टी या सहायक		
3	उधार लेने पर ब्याज की कटौती: (i) देय ब्याज / ऋणदाता को भुगतान किया गया (ii) ऋणदाता का नाम (iii) ऋणदाता का पता (iv) ऋणदाता का स्थायी लेखा संख्या (ए) वित्तीय संस्थान (यदि उपलब्ध हो) (बी)नियोक्ता (यदि उपलब्ध हो) (सी)अन्य		
4	(i) अध्याय VI-A . के तहत कटौती (ए) धारा 80C, 80CCC एवं 80CCD (i) धारा 80C (ए)..... (बी)..... (सी)..... (ii) धारा 80CCC (iii) धारा 80CCD (बी) अन्य धाराएं (जैसे 80E, 80G, 80TTA, etc.) अध्याय VI- A. के तहत		

	(i)धारा..... (ii)धारा.....		
सत्यापन			
मैं,, पुत्र/पुत्री एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।			
स्थान..... दिनांक..... पद.....		(कर्मचारी के हस्ताक्षर) पूरा नाम	